बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1937 (श०)

(सं० पटना 512) पटना, मंगलवार, 28 अप्रील 2015

सं० 11/ आ०नि०-III-08/2015 सा०प्र०—6138

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

22 अप्रील 2015

विषय—बिहार पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–12 पर दर्ज "तमोली" एवं क्रमांक–19 पर दर्ज "बढ़ई" जाति को विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–125 पर स्वतंत्र रूप से बरई, तमोली (चौरसिया) जाति को शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1.) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किए गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्गों के अति [illegible] अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई [illegible] एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह [illegible], जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 [illegible] के अनुसार समय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा–9 (2.) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार [illegible]।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना के पत्रांक–08 दिनांक 17.04.2015 द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (क) के तहत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) क्रमांक–12 पर दर्ज "तमोली" एवं क्रमांक–19 पर दर्ज "बढ़ई" जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गयी है :–

"उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार अधिनियम–12, 1993 संशोधित अधिनियम–2007 की धारा–9 (1) (क) के अधीन राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना की यह सलाह/परामर्श है कि "राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–12 पर दर्ज तमोली एवं क्रमांक–19 पर दर्ज "बढ़ई" जाति को विलोपित करते हुए अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) की अंतिम प्रविष्टि में स्वतंत्र रूप से "बरई, तमोली (चौरसिया)" जाति को शामिल कर दिया जाय।"

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार पदो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–125 पर "बरई, तमोली (चौरसिया)" जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल कर लिया जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार पटना/[illegible] बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय [illegible] बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य [illegible]/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार [illegible], बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय [illegible] सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/सभी [illegible] एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

[illegible]

सरकार के अवर सचिव।

Kumar
8.5.2024
प्रधानाचार्य
[illegible] म० महिला कॉलेज
आरा
8.5.2024

Anu-19

पत्रांक–11/वि0–2–पि0व0आ0–6/2005 सा0प्र0............../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

नवीनचन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक....................

विषय:–बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम–1991) बिहार अधिनियम–3/1992 की अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) का सम्प्रेषण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि तात्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–2927 दिनांक–21.07.2010 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछडे वर्गो की सूची परिचालित की गई है। कालक्रम से बिहार अधिनियम–3/1992 में अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाता रहा है, जिसे जन साधारण की जानकारी के लिए पुनः परिचालित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार अधिनियम–3, 1992 के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) एवं पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) की अद्यतन सूची सुलभ प्रसंग हेतु प्रेषित की जा रही है।

3. अनुरोध है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के बीच परिचालित कर दिया जाय, ताकि संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। परन्तु किसी जाति विशेष के संबंध में संदेह होने पर मूल अधिनियम एवं संकल्प की प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाए।

अनु0–यथावत्।

विश्वासभाजन

ह0/–
(नवीनचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–11/वि0–2–पि0व0आ0–6/2005 सा0प्र0 8701 /, पटना–15, दिनांक 18.6.12

प्रतिलिपि– अनुलग्नक की प्रति सहित आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.6.12
सरकार के संयुक्त सचिव

Himadri
8/5/2024
प्रधानाचार्य
म0 म0 महिला कॉलेज
आरा
8.5.24

पत्रांक 15/एम [illegible] – 1290
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र झा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 28/6/2019

विषय – शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रावधानों को लागू करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने संबंधी प्रावधान अधिसूचित किया गया है। तदालोक में विभागीय पत्रांक 1237 दिनांक 06.06.2019 द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को उक्त प्रावधान को कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया है। उपरान्त विभागीय पत्र तथा पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा की गई पृच्छाओं के प्रसंग में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के क्रम में आरक्षण प्रावधानों के संदर्भ में निम्न परामर्श संसूचित किए जाते हैं –

1. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अनुमान्य 10% आरक्षण vertical reservation है न कि horizontal reservation है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 963 दिनांक 20.01.2016 तथा परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 द्वारा महिलाओं को अनुमान्य 35% आरक्षण horizontal reservation है न कि vertical reservation। यद्यपि रोस्टर बिंदु का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के अनुसूची III में किया गया है, परन्तु महिलाओं को अनुमान्य 35% आरक्षण संबंधी विस्तृत प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 में स्पष्ट किया गया है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18.02.2016 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को अनुमान्य 2% आरक्षण horizontal reservation है न कि vertical reservation। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसके लिए रोस्टर बिंदु निर्धारित नहीं किया गया है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को देय 5% आरक्षण horizontal reservation है न कि vertical reservation।

कृपया उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/- 28/06/2019
(सतीश चन्द्र झा)
सरकार के विशेष सचिव

प्रधानाचार्य
म० म० महिला कॉलेज
आरा

MAHANTH MAHADEVANAND MAHILA MAHAVIDYALAYA, ARA

NAAC Accredited:- GRADE - 'B'

[A CONSTITUENT UNIT OF VEER KUNWAR SINGH UNIVERSITY, ARA, PIN-802301, (BIHAR)]

Principal
principalmmmmara@gmail.com

www.mmmcollegeara.org
Ph: 06182-222334 (O)

Ref No......................

Date......................

1. अनुसूचित जाति – 16 %
2. अनुसूचित जन जाति – 1 %
3. पिछड़ा वर्ग (BC-I) – 18 %
4. अति पिछड़ा वर्ग (BC-II) – 12 %
5. पिछड़ा वर्ग महिला – 03 %

निर्धारित सीट

1. महाविद्यालय एवं वि० वि० सेवकों के लिए – 5 %
2. खेलकुद, सांस्कृतिक योग्यता प्राप्त आवेदकों के लिए – 2 %
3. महाविद्यालय दान दाता – 1 %
4. सरकारी सेवक स्थानान्तर, पोस्ट आफिस बैंक कर्मी, क्षेत्रिय पूलिस कर्मचारियों के लिए एवं विकलांग – 7 %
5. पिछड़ा वर्ग महिला – 03 %

29.4.2024

प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
म० म० महिला कॉलेज
आरा